

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक... २७/३११२७

पटना, दिनांक... १५/११/१८

सं० सं०-०५/उ० नि० ब० (आवंटन) ०२/२०१८

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष २८५२ उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-८०-सामान्य-लघुशीर्ष ००१ निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-२३ उपशीर्ष ०००२ निदेशन-विपत्र कोड २३-२८५२.८०.००१.०००२ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में गैर योजना (स्थाई) कार्यालय को स्थापना व्यय वहन करने के लिए विषय शीर्ष ०००२.०६.०१ चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल राशि रू० ३५,०००/- (पैंतीस हजार) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,


उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपया ३५,०००/- (पैंतीस हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- २ इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में आय-व्ययक शीर्ष-२८५२ उद्योग उपमुख्य शीर्ष-८०-सामान्य-लघुशीर्ष ००१ निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-२३ उपशीर्ष ०००२ निदेशन-विपत्र कोड २३-२८५२.८०.००१.०००२ के अन्तर्गत विषय शीर्ष ०००२.०६.०१ चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद से विकलित होगा।
- ३ यह आवंटन वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में स्थापना व्यय वहन करने के लिए राशि का आवंटन।
- ४ राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक २५६१ वि०(२) दिनांक १७ अप्रैल, १९९८ के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- ५ राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-१ के नियम ४७५ का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018-19 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक आवश्यक भेज दें।


विश्वासभाजन


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....२५/आ/१२१

पटना, दिनांक.....15.11.18


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....२५/आ/१२१

पटना, दिनांक.....15.11.18

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।